राजस्थान सरकार
वाणिज्यिक कर विभाग,
कर भवन,अम्बेडकर सर्किल भवानी सिंह रोड, जयपुर ।

विज्ञापन संख्याः प.1ए संस्था/क.स./विज्ञप्ति/आयुक्त/2011/ दिनांकः 25. जनवरी, 2011

राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1975 की अनुसूची–1 तथा समय–समय पर संशोधित नियमों के अन्तर्गत कर सहायक के सीधी भर्ती के पदों पर प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति के लिए आवेदन–पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। कुल रिक्त पदों की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है :–

क. सं	पदनाम	भरे जाने वाले कुल पद	सामान्य		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		पिछडा वर्ग		विशेष पिछडा वर्ग		निःशक्त जन	उत्कृष्ठ खिलाडी	भूतपूर्व सैनिक
			सा.	म.	सा.	म.	सा.	म.	सा.	म.	सा.	म.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	कर सहायक	443	157	66	49	21	38	15	66	27	3	1	13 (वी.एच.–5, एच.आई–4, एल.डी.–4)	8	53

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित पदों में से अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के स्थानीय सदस्यों के लिए आरक्षित पदों की संख्या (टी.एस.पी) :–

भरे जाने वाले कुल पद	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	सहरिया
डूंगरपुर	-	1	-
उदयपुर	-	5	-
बांसवाडा	-	2	-
प्रतापगढ	-	-	-
थ्सरोही	-	1	-
बंरा	-	-	1

संक्षिप्ताक्षर : सा.:–सामान्य, म.– महिला, वी.एच.–अन्धता या निम्न दृष्टि, एच.आई– श्रवण शक्ति की क्षीणता, एल.डी– गति विषयक निःशक्तता या मस्तिष्क सम्बन्धी फाजिल

नोटः–

(1) विज्ञापित पदों में राजस्थान के अ.जा/अ.ज.जा. के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को उपरोक्त सेवा नियम 7 के उपनियम (4) के प्रावधानान्तर्गत तब तक अग्रनीत किया जायेगा जब तक यथास्थिति, राजस्थान के अ.जा/अ.ज.जा. के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाते। किन्हीं भी परिस्थितियों में राजस्थान के अ.जा/अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित पदों को अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जायेगा।

(2) राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अ.जा./अ.ज.जा./पि.व./वि.पि.व. के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा।

(3) विभाग द्वारा भरे जाने वाले उक्त रिक्त पदों में महिला, अराजपत्रित कर्मचारी, निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु आरक्षित पद का आरक्षण दण्डवत रूप से होगा परन्तु जिस प्रवर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध होंगे उसे सम्बन्धित प्रवर्ग में, जिसके वे अभ्यर्थी है, उसे उस ही प्रवर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण प्रवर्गानुसार 30 प्रतिशत होगा, जिसमें से 8 प्रतिशत विधवा महिला अभ्यर्थियों तथा 2 प्रतिशत परित्यक्ता महिला अभ्यर्थियों के लिए होगा ।

(4) किसी वर्ग (सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग) के पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उस पद को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा ।

(5) विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी जाति (अ.जा./अ.ज.जा./पि.व./ वि.पि.व.) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(6) राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रकिया से भरा जाएगा ।

(7) निःशक्तजन के लिए दर्शाए गये आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, इन पदों को राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के अनुसार भरा जाएगा तथा नियम 5(4) के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण या अन्य किसी भी पर्याप्त कारण के, पद भरा नहीं जा सकता हो वहॉ ऐसी रिक्ति को 3 भर्ती वर्षों तक अग्रनीत किया जाएगा ।

(8) ऐसे आवेदक जो निःशक्तता की श्रेणी में आते हैं, अपनी निःशक्तता के सम्बन्ध में राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के अनुसार राजस्थान राज्य के किसी राजकीय अस्पताल के गठित मेडीकल बोर्ड (राजस्थान राज्य के नियमानुसार गठित तीन चिकित्सा अधिकारी वाला बोर्ड) द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता का होने पर ही आवेदक निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा ।

(9) उत्कृष्ट खिलाडियों से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है राज्य से ऐसे खिलाडी जिन्होनें अर्न्तराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति और भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त स्पोर्टस और खेलों में या बैडमिन्टन, टेनिस, शंतरज और क्रिकेट में उनसे सम्बन्धित राष्ट्रीय स्तर के संघ,फैडरेशन या बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त अर्न्तराष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में निम्नलिखित विवरणानुसार व्यक्तिशः या टीम के सदस्य के रूप में भाग लिया हो :–
एशियाई खेलों, एशियाई चैम्पियनशिपों, राष्ट्रमण्डल खेलों, विश्व चैम्पियनशिपों, विश्व के विश्वविद्यालय खेलों, विश्व स्कूल खेलों, दक्षेस खेलों या ओलम्पिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो, जहां उसने (किसी व्यक्तिगत आइटम में) या उसकी टीम ने (टीम स्पर्धा में) प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।

(10) विज्ञापन जारी होने के उपरांत विभाग द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या वृद्वि की जा सकती है।

आयुः–

आवेदक 1 जनवरी 2012 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 35 वर्ष का नहीं हुआ हो, परन्तु यह कि ऊपर उल्लिखित उच्चतम आयु सीमा में –

(1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग के पुरूषअभ्यर्थियों को, जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(2) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यार्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के मूल निवासी हैं के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(4) पंचायत समितियों, जिला परिषदों, राजस्थान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपकमों/निगमों के कारोबार में अधिष्ठायी (Substantive) रूप से कार्यरत व्यक्तियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

(5) राजस्थान राज्य के कियाकलापों के सम्बन्ध में अधिष्ठायी (Substantive) तौर पर नियुक्त कार्मिको के लिये अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

(6) रिजर्विस्टों अर्थात रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कार्मिकों और भूतपूर्व सेना कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी ।

भूतपूर्व सेना कार्मिकों हेतु राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियमानुसार उच्चतम आयु सीमा 50 वर्ष में सैन्य क्रास/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिलन योग्य होगी ।

(7) विधवाओं और विछिन्न–विवाह महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
स्पष्टीकरण : विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विछिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विछिन्न विवाह की डिक्री/न्यायिक सबूत प्रस्तुत करना होगा ।

(8) एन.सी.सी. के कैडिट–प्रशिक्षकों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालाविधि के बराबर छूट की जायेगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जायेगा।

(9) राजस्थान निःशक्तजन का नियोजन नियम, 2000 के अन्तर्गत सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष, पिछडा वर्ग, विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 13 वर्ष तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 15 वर्ष की छूट होगी ।

(10) निर्मुक्त हुए आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों और लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात आयु सीमा में ही समझा जायेगा चाहे उन्होने विभाग के समक्ष उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो बशर्ते कि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे ।

(11) भूतपूर्व कैदी के मामले में, जो दोषसिद्धि से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी (Substantive) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति का पात्र था, के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी ।

(12) अन्य भूतपूर्व कैदी के मामले में, जो दोषसिद्धि से पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति के लिए पात्र था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी ।
उपरोक्त आयु संबंधी वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cummulative" है अर्थात अभ्यर्थी को उपरोक्त वर्णित किसी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा । एक से अधिक प्रावधानों में विहित छूट जोड़कर छूट का लाभ देय नहीं होगा ।

<u>नियुक्ति के लिये अयोग्यताः–</u>

(1) किसी भी ऐसे पुरूष/महिला अभ्यर्थी को जिसके एक से अधिक जीवित पत्नी/पति हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है।

(2) किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरूष से विवाह किया है, जिसके पहले जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है, यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है

(3) किसी भी विवाहित पुरूष/महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा यदि अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा। स्पष्टीकरण– इस नियम के प्रयोजन हेतु दहेज से वही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिषेध एक्ट,1961 (सेन्ट्रल एक्ट,28 ऑफ 1961) में है ।

(4) राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह–13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है।

(5) राजस्थान लोक सेवा आयोग /राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है,इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं कर पाएगें।

(6) ऐसा कोई भी अभ्यार्थी जिसके 1.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये तब तक
निरर्हित
नहीं समझा जायेगा,जब तक कि 1 जून 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्यामें

बढोतरी नहीं होतीः–
परन्तु यह और कि जहां किसी भी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुये बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।

अनुचित साधनों की रोकथामः–

परीक्षार्थी को विभाग/केन्द्राधीक्षक/अभिजागर (Invigilator) अथवा विभाग द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा । ऐसा नहीं करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्व विभाग/केन्द्राधीक्षक, जो उचित समझे, कार्यवाही कर सकता है तथा ऐसे परीक्षार्थी के विरूद्व राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी ।

वेतनमान :– संशोधित वेतनमान रनिंग पे बैंड रूपये 5200–20200 रू. , ग्रेड पे– रू. 2400/–

''ऐसे किसी अभ्यर्थी को,जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्य भार स्वीकार करता है,परिवीक्षा की कालावधि के दौरान,राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत दर से मासिक नियत,पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा और पद का विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान,सम्बन्धित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की दिनांक से ही अनुज्ञात किया जायेगा।''

अग्रिम वेतन वृद्वि/उच्च वेतन : नहीं ।

पेंशनः– नये भर्ती/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये दिनांक 01.01.2004 से अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

कार्य :

व्यवहारियों से प्राप्त विवरणियों व अन्य स्त्रोंतो से प्राप्त सभी डाटा की प्रविष्टि करना, कर निर्धारण अधिकारी को विभागीय वेबसाईट एवं अन्य सॉफ्टवेयर्स से सूचनाएं (MIS) विकसित कर उपलब्ध कराना, कर निर्धारण कार्य में सहयोग एवं विभाग द्वारा निर्दिष्ट कार्य, विभाग की ई–सेवाओं से सम्बन्धित कार्य ।

परिवीक्षा काल (प्रोबेशन)/ प्रशिक्षण/अन्य सुविधाएं : नियमानुसार ।

मंहगाई भत्ता : नियमानुसार ।

मुख्यालय : विभाग के अधीन के किसी भी कार्यालय में।

शैक्षणिक योग्यताः–

(i) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन/ कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातक या भारत में विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त किसी पोलिटेक्नीक महाविद्यालय /संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा

(ii)देवनागिरी लिपि में लिखित हिन्दी का व्यवहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान ।

नोट :– उपरोक्त योग्यता के पाठ्यक्रम की अन्तिम वर्ष की परीक्षा,जो ''कर सहायक'' के पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है, में अभ्यर्थी सम्मिलित हुआ है या सम्मिलित होने वाला है, आवेदन करने के लिए पात्र होगा किन्तु विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली कम्पयूटर प्रवीणता परीक्षण परीक्षा होने से पूर्व अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने के प्रमाण (सबूत) विभाग को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

स्पष्टीकरणः– यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपयोग कर सकेंगे, जो आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक निर्धारित शैक्षणिक अर्हता की अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले है ।

परीक्षा की योजना (स्कीम) – विभाग द्वारा परीक्षा दो चरणों (स्टेज) में संचालित की जाएगीः

भाग I : लिखित परीक्षा (200 अंक)

भाग II : कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षण (100 अंक)

कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षण के लिए रिक्तियों की संख्या के तीन गुने के बराबर अभ्यर्थियों को, लिखित परीक्षा (भाग I) में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता क्रम में बुलाया जायेगा ।

चयनः– इस स्कीम में अधीन संचालित परीक्षा के दोनों भाग अर्थात् भाग– I और भाग– II में सफल रहे अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंको के आधार पर अवधारित योग्यता क्रम में चयन किया जायेगा ।

पाठ्य विवरण

प्रतियोगी परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न–पत्र सम्मिलित होंगे और प्रत्येक प्रश्न–पत्र उसके सम्मुख दर्शित अंकों का होगा । प्रश्न–पत्र I और प्रश्न–पत्र II में प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के और बहुविकल्पीय होंगे ।

भाग I लिखित परीक्षा

प्रश्न पत्र I	अनुज्ञात समय	अधिकतम अंक	न्यूनतम उत्तीर्णांक
	3 घण्टे	100	40

भाग क–भाषा–हिन्दी और सामान्य अंग्रेजी

इस भाग में के प्रश्न किसी अभ्यर्थी की हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में समझ और ज्ञान का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किये जायेंगे और ये त्रुटि पहचान, (क्रिया, कारक चिन्ह् (Preposition) अभिपद (Article) आदि के प्रयोग द्वारा) रिक्त स्थानों को भरने, शब्दावली, वर्तनी, व्याकरण, वाक्य संरचना, समानार्थक, विलोम, वाक्यांश, मुहावरे और शब्दों के मुहावरेदार प्रयोग आदि पर आधारित होंगे ।

भाग–ख– सामान्य जानकारी

इस भाग में के प्रश्नों का उद्देश्य किसी अभ्यर्थी की, उसके आसपास की परिस्थितियों की सामान्य जानकारी, समसामयिक घटनाओं, दैनिक विज्ञान, इतिहास, सामान्य राज–व्यवस्था, भारत का संविधान, खेल, भूगोल और राजस्थान की संस्कृति और कम्प्यूटर आदि के मूल/प्रमुख सिद्धान्तों के ज्ञान का परीक्षण होगा ।

प्रश्न पत्र II	अनुज्ञात समय	अधिकतम अंक	न्यूनतम उत्तीर्णांक
	3 घण्टे	100	40

अंकगणित और तर्क

इस प्रश्न पत्र में संख्या पद्धति, पूर्णांक की संगणना, दशमलव और भिन्न मूल अंकगणितात्मक संक्रिया, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, बट्टा, समय और दूरी, सारणियों और आलेखों(ग्राफ) के प्रयोग, समय और कार्य से संबंधित विषय पर प्रश्न और बौद्धिक कुशलता और तर्क आदि से संबंधित प्रश्न सम्मिलित होंगे ।

नोटः

1 प्रश्न पत्र I भाग ख सामान्य जानकारी तथा प्रश्न पत्र II अंकगणित और तर्क हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में मुद्रित होंगे ।

2 प्रश्नों के उत्तर परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराई गई OMR Sheets में अंकित किये जाने होंगे ।

3 लिखित परीक्षा के समय, सिर्फ दृष्टिहीन/कम दृष्टिवाले अभ्यर्थियों तथा सेरेब्रल पाल्सी के वजह से जिनकी लिखने की गति प्रभावित हुई है, उन्हें ही अपने खर्चो से सहायक/लेखनिक लाने की अनुमति दी जायेगी । ऐसा लेखनिक/सहायक सीनीयर सैकण्डरी स्तर से अधिक नहीं होगा । ऐसे अभ्यर्थियों को 30 मिनट का अतिरिक्त समय परीक्षा हेतु दिया जायेगा । अभ्यर्थी को लेखनिक/सहायक की आवश्यता से संबंधित सूचना 15 मार्च तक आवेदन पते **राजस्थान नॉलेज कोरपोरेशन लिमिटेड, 7–ए, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004 (राजस्थान) भारत**'' पर प्रस्तुत करनी होगी ।

भाग II : कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षण :

प्रश्न पत्र III	**अनुज्ञात समय**	**अधिकतम अंक**	**न्यूनतम उत्तीर्णांक**
	30 मिनट	**100**	**40**

भाग क– कम्प्यूटर पर टंकण में गति–15 मिनट

(न्यूनतम 8000 की डिप्रेशन (Key depression) प्रति घंटा)

कम्प्यूटर पर 8000 की डिप्रेशन की गति का विनिर्णय, दिये गये पाठ्य लेखांश के अनुसार कम्प्यूटर में समस्त की डिप्रेशन की सही प्रविष्टि के आधार पर किया जायेगा और उक्त परीक्षण की समय अवधि 15 (पन्द्रह) मिनट होगी और 2000–2200 स्ट्रोक/ की डिप्रेशन करने वाला अंग्रेजी में अविच्छिन पाठ्य विषय का मुद्रित लेखांश प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायेगा जो उसकी कम्प्यूटर में प्रविष्टि करेगा ।

भाग ख– एम. एस. एक्सेल में ज्ञान का परीक्षण –15 मिनट''

<u>परीक्षा का माह/दिनांक एवं स्थानः–</u>

1. लिखित परीक्षा सम्भवतः दिनांक 17 अप्रेल, 2011 (रविवार) को आयोजित की जायेगी । प्रश्न पत्र I का समय प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक तथा प्रश्न पत्र II अपरान्ह 2 बजे से 5 बजे तक निर्धारित किया गया है ।
2. लिखित परीक्षा राज्य के संभागीय मुख्यालयों जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर और कोटा पर आयोजित की जाएगी।
3. विभाग द्वारा अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण परीक्षा आयोजन के दिनांक व माह में परिवर्तन किया जा सकता है ।
4. विभाग द्वारा कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षण राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर शहर में आयोजित की जाएगी।

परीक्षा शुल्क–(आवेदन पत्र के मूल्य रू. 50 सहित)

(1) सामान्य आवेदक हेतु (जिसमें पि.व. क्रिमीलेयर के आवेदक व अधोवर्णित श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य सभी श्रेणियां के आवेदक सम्मिलित है) – रू. 250

(2) पिछडे वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग के नोन क्रिमीलेयर के आवेदक जो राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी है, हेतु – रू. 150

(3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक जो राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी हैं– रू. 50

(4) निःशक्तजन श्रेणी के समस्त आवेदक (जिसमें अ.जा./अ.ज.जा./पि.व./वि.पि.व./सामान्य सभी श्रेणी के निःशक्त जन सम्मिलित है) के आवेदकों हेतु – रू. 50

नोट– आवेदन पत्र के साथ परीक्षा शुल्क सम्मिलित है।

आवेदन पत्र भरने एवं जमा कराने की अंतिम तिथि–

परीक्षा हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से भरे जाने हैं । कोई भी आवेदक इस हेतु विकसित वेबसाईट http://oasis.rkcl.in/ctax पर निम्न दो विधियों में से किसी एक विधि से निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकते हैं ।

विधि–1– ऑनलाइन आवेदनः– ऑनलाइन आवेदन पत्र 24 फरवरी, 2011 रात्रि 11.00 बजकर 59 मिनट तक भरे जा सकते है और इसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा । ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदक को आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से अथवा व्यक्तिगत रूप से 3 मार्च, 2011 को सांय 6.00 बजे तक राजस्थान नॉलेज कोरपोरेशन लिमिटेड, 7ए, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004 तक पहुँचाना अनिवार्य है ।

विधि–2– आई. टी. ज्ञान केन्द्रों के माध्यम से :– आवेदक, आई.टी ज्ञान केन्द्रों के माध्यम से 24 फरवरी, 2011 सांय 6.00 बजे तक ऑन लाइन (Online) आवेदन पत्र भर सकेंगे । आई.टी ज्ञान केन्द्रों की सूची वेबसाईट http://oasis.rkcl.in/ctax पर उपलब्ध है ।

निर्धारित समयावधि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे ।

आवेदन कैसे करें:–

विधि–1– ऑन लाइन आवेदन की प्रक्रिया :–

1. आवेदकों से आग्रह है कि वे वेबसाइट (http://oasis.rkcl.in/ctax) पर जाकर पद से संबंधित समस्त जानकारियां जैसे आवेदन शुल्क, पात्रता, पदों की संख्या तथा शपथ पत्र का प्रारूप, इत्यादि की जानकारी प्राप्त करें ।
2. आवेदक एप्लाई ऑनलाइन (Apply Online) लिंक पर क्लिक कर स्वंय की समस्त व्यक्तिगत जानकारी और सम्पर्क करने का पता भरेगा । तत्पश्चात प्रत्येक आवेदक को लॉग इन आईडी और पासवर्ड मिलेगा । जिसे आवेदक को भविष्य के संदर्भ (यथा परमीशन लेटर का प्रिन्ट आउट लेने तथा आवेदन की स्थिति जानकारी प्राप्त करने) हेतु अपने पास सुरक्षित रखना होगा ।
3. आवेदक पुनः वेबसाइट पर लॉग इन आईडी (Login ID) एवं पासवर्ड (Passward) की सहायता से वेबसाईट पर लॉग इन(Login) कर अपनी शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण, डिमाण्ड ड्राफ्ट और अन्य आवश्यक सूचनाएं भरेगा । आवेदक अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर में से अपनी पसंद के किसी एक परीक्षा केन्द्र का चुनाव करेगा ।
4. आवेदक स्वंय की नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज की फोटो और हस्ताक्षर को स्केन कर "JPG" प्रारूप में अपलोड करेगा ।
5. आवेदक पूर्ण रूप से भरे ऑन लाइन आवेदन पत्र का "A-4"साईज के कागज पर प्रिंट लेगा ।
6. आवेदक अपनी श्रेणी के अनुसार विज्ञापन में यथा निर्दिष्ट परीक्षा शुल्क (आवेदन शुल्क सहित) राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट (D.D.) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से '' राजस्थान नॉलेज कोरपोरेशन लिमिटेड'' या ''R.K.C.L'' के नाम से जयपुर पर देय होगा, बनवायेगा ।
7. आवेदक डिमाण्ड ड्राफ्ट के पृष्ठभाग पर सुस्पष्ट अक्षरों में अपने आवेदन पत्र कमांक, पूरा नाम, सम्पर्क करने के लिए मोबाईल नम्बर/टेलीफोन नम्बर अवश्य लिखेगा ।
8. आवेदक उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध प्रारूप में रू0 10/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र बनवाकर नोटेरी से सत्यापित करवायेगा ।
9. आवेदक "A-4" के लिफाफे में निम्न दस्तावेज संलग्न करेगा :–
   - I आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ।
   - II परीक्षा शुल्क (आवेदन शुल्क सहित) का डिमाण्ड ड्राफ्ट ।
   - III शपथ पत्र ।
   - IV निर्धारित शैक्षिणिक योग्यता अर्जित करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र/मार्कशीट की सत्यापित फोटो प्रति ।
10. आवेदक, आवेदन पत्र के साथ उपर्युक्त दस्तावेज संलग्न कर लिफाफे पर उपयुक्त डाक शुल्क चिपका कर सामान्य डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर से '' **राजस्थान नॉलेज कोरपोरेशन लिमिटेड, 7–ए, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004 (राजस्थान) भारत**'' पर प्रेषित करेगा ।

11. भविष्य में आवेदक स्वयं के लॉग इन आईडी(Login ID) एवं पासवर्ड की सहायता से वेबसाइट के माध्यम से स्वयं के आवेदन पत्र की स्थिति जान सकेगा एवं प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकेगा।

विधि– 2–आई टी ज्ञान केन्द्रों से आवेदन करने की प्रकिया :–

1. आवेदक वेबसाइट http://oasis.rkcl.in/ctax पर उपलब्ध आई.टी. ज्ञान केन्द्रों की सूची में से अपनी सुविधानुसार किसी एक आई.टी. ज्ञान केन्द्र पर जाकर पद की भर्ती से सम्बन्धित समस्त जानकारियां जैसे पात्रता, पदों की संख्या, आवेदन शुल्क, व साथ में लगने वाले समस्त कागजों की जानकारी प्राप्त कर सकेगा ।

2. आवेदक को आई. टी. ज्ञान केन्द्र द्वारा निम्न सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएगी :–

   - आवेदन पत्र की नमूना प्रति ।
   - ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की सुविधा ।
   - भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट देना ।
   - परीक्षा शुल्क नकद में जमा कर रसीद जारी करने की सुविधा ।
   - आवेदन जमा कराने की सुविधा ।
   - आवेदन पत्र को आर.के.सी.एल. जयपुर पहुँचाने की व्यवस्था ।
   - परीक्षा प्रवेश पत्र (Permission Letter) का प्रिन्ट आउट देना ।

उपरोक्त सुविधाओं के उपयोग हेतु आई.टी. ज्ञान केन्द्र को रू0 25/– सुविधा सेवा की राशि आवेदक से प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया गया है ।

3. आवेदक नमूने के आवेदन पत्र को सम्पूर्ण रूप से भरकर अपनी वर्तमान पासपोर्ट साईज की रंगीन फोटो चिपकाएगा और यथास्थान अपने हस्ताक्षर करेगा ।
4. आवेदन पत्र के साथ रू0 10/– नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में एक शपथ बनवाकर नोटरी से सत्यापित करवाकर आई.टी. ज्ञान केन्द्र पर जमा कराएगा ।
5. आवेदक आवेदन पत्र, शपथ पत्र, शैक्षणिक योग्यता अर्हता का प्रमाण पत्र/मार्कशीट की सत्यापित फोटो प्रति एवं आवेदन शुल्क (रोकड़ में) के साथ आई.टी. ज्ञान केन्द्र पर जमा कराएगा ।
6. जिस आई.टी. ज्ञान केन्द्र के माध्यम से आवेदक ने आवेदन भरा है, आवेदक अपना परीक्षा प्रवेश पत्र उसी आई.टी. ज्ञान केन्द्र से निश्चित तिथि पर प्राप्त करेगा।

विशेष :–

- विभाग द्वारा परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं अन्य सामग्री विक्रय किए जाने हेतु किसी भी प्रकाशक को अधिकृत नहीं किया गया है । यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रकाशक द्वारा मुद्रित पाठ्यक्रम अथवा अन्य सामग्री खरीदता है तो यह उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- आवेदक को आवेदन, परीक्षा प्रवेश सम्बन्धी एवं अन्य आवश्यक सूचनाएं एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित की जायेगी ।
- यदि कोई आवेदक आवेदन में उल्लेखित सूचना के आधार पर कर सहायक के पद के लिए उल्लेखित अर्हताओं की पूर्ति नहीं करता है तो इस परीक्षा के लिए अयोग्य पाये जाने पर आवेदन निरस्तनीय होगा तथा ऐसे आवेदकों को उनके द्वारा जमा कराया गया परीक्षा शुल्क, जिसमें आवेदन शुल्क सम्मिलित है, प्रतिदाय (Refund) नहीं किया जायेगा ।
- किसी तरह की कठिनाई/पूछताछ हेतु आवेदक हेल्पलाइन नम्बर (टोल फ्री नम्बर) 18001806543 पर सम्पर्क करें ।
- कर सहायक पद पर भर्ती हेतु विकसित वेबसाइट http:// oasis.rkcl.in/ctax पर उपलब्ध सूचना से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते है ।

महत्वपूर्ण जानकारी :–

आवेदकों की सुविधा हेतु इस विज्ञप्ति का प्रकाशन ''राजस्थान रोजगार सन्देश'' में किया जा रहा है एवं संक्षिप्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान के प्रमुख हिन्दी/ अंग्रेजी के दैनिक समाचार पत्रों में भी किया जा रहा है ।

आयुक्त,
वाणिज्यिक कर विभाग,
राजस्थान, जयपुर